

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 1979/फाल्गुन 25, 1900
No. 117] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 1979/ PHALGUNA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1979

क्र. आ. 142(अ).—भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की
अधिसूचना सं. 6-16/75-पी एच (एफ एंड एन) तारीख 4 अगस्त, 1978 में जो भारत राजपत्र,
भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) के पृष्ठ 683-685 पर सा. का. नि. 393 (अ) तारीख 4 अगस्त,
1978 के अधीन प्रकाशित की गई थी :-

- (1) दूसरी पंक्ति में, कोष्ठक में रिक्त स्थान में 'थ' अक्षर पढ़ें ;
- (2) साँथी पंक्ति में "(ण)" के स्थान पर "(द)" पढ़ें।

2. खण्ड 3 में, मद "क 28.11 में,—

- (1) रासायनिक नाम के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :-

"1-4-सल्फो-1(नैपथीलाजो)-2 नैपथोल-6, 8-डाइसल्फोनिनिक अम्ल का ट्राई
सोडियम साल्ट",

(2) अपेक्षाएं वर्णित करने वाली सारणी में, क्रम सं. 1 सामने, अभिलक्षण से संबंधित स्तम्भ 2 के नीचे "शुद्ध" के स्थान पर "कूल" पढ़ें।

3. मद "क" 26.12 कार्माजीन : में सारणी में, क्रम सं. 1 के सामने, अभिलक्षण से सम्बन्धित स्तम्भ 2 के नीचे "शुद्ध" के स्थान पर "कूल" पढ़ें।

4. मद क. 26.13 फास्ट रेड ई में, सारणी में क्रम सं. 1 के सामने अभिलक्षण से सम्बन्धित स्तम्भ 2 के नीचे "शुद्ध" के स्थान पर "कूल" पढ़ें।

[सं. 6-16/75-पी एच (एफ एण्ड एन)]

टी. वी. अन्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th March, 1979

S.O. 142(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. 6-16/75-PH(F&N) dated 4th August, 1978 published *vide* G.S.R. 393(E) dated 4th August, 1978 on pages 685-686 of the Government of India Gazette, Part II, Section 3; sub-section 3(i) :—

1. In clause 2 :

(i) in third line for sub-rule (S), read sub-rule (Q) ;

(ii) for "(T)" read "(R)".

2. In clause 3, in item No. A. 26.11 :

(i) for chemical name read as under :—

"Trisodium salt of 1-(4-sulpho-1-naphthylazo)-2 naphthol-6, 8-disulphonic acid."

(ii) in the table giving requirements—

(a) in serial No. 1, for the word "pure" read "total".

(b) in serial No. 4, the ':' occurring between the words, "extracts" and "per cent", shall be replaced by ','.

3. In item A. 26.12 : Carmoisine :

(i) for Empirical formula, " $C_{14}H_{11}N_2O_7S_3Na_3$ ", read, " $C_{14}OH_{11}N_2O_7S_3Na_3$ ".

(ii) In the table giving requirements for Carmoisine, in serial No. 1, for the word, "pure" substitute the word, "total",

4. In item A. 26.13 :

(i) for the chemical name, "Disodium salt of 1-4(4-sulpho-1-naphthylazo)-2-naphthol-6-sulphonic acid" read "1(4-sulpho-1-naphthyl azo)-2-naphthol-6-sulphonic acid."

(ii) in the table, giving requirements for Fast Red E, in serial No. 1, for the word, "pure", the word "total" shall be substituted.

[No. 6-16/75-PH(F&N)]

T. ANTONY, Jt. Secy.